(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वा0/भू.रा./17/4344 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 162/2016-17/अपील.

---

1. राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रमेशचन्द्र गुप्ता
   निवासी ग्राम सांखनी तहसील भितरवार
   जिला ग्वालियर, म.प्र.
2. श्रीमती मीराबाई पत्नी राजकिशोर
   पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
   निवासी ग्राम करारी
   तहसील व जिला झांसी, उ.प्र.
3. श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री राजकुमार
   पुत्री स्व. श्री बाबूलाल
   निवासी पकोडिया महादेव दतिया
   जिला दतिया, म.प्र.

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1. रमेशचन्द्र गुप्ता
2. बिहारीलाल पुत्रगण स्व. श्री बाबूलाल
   समस्त निवासी ग्राम सांखनी
   कृषक ग्राम बासोडी तहसील भितरवार,
   जिला ग्वालियर, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री प्रदीप श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर.एस. सेंगर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 08-08-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 30.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील भितरवार के ग्राम बासोड़ी में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1070 रकबा 0.449, 1071 रकबा 0.293, 1094 रकबा 0.502 एवं 1095 रकबा 0.502 हैक्टेयर कुल किता 04 कुल रकबा 1.746 हैक्टेयर जिसके अभिलिखित भूस्वामी अनावेदकगण तथा लक्ष्मीबाई बेवा बाबूलाल थे। अभिलिखित भूमि स्वामियों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष इस आश्य का आवेदन पत्र पेश किया गया कि उक्त भूमि हम आवेदकगण के भूमिस्वामित्व की भूमि है। अनावेदकगण का सम्मिलित रूप से 5/6 तथा लक्ष्मीबाई का 1/6 हिस्सा है। आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया गया है। अत: फर्द बंटवारा अनुसार बंटवारा किया जाकर पृथक्-पृथक् भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका बनाई जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्र.क्र. 05/90-91/अ-27 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमियों का आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा आदेश दिनांक 30.11.1991 से किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भितरवार के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपील पेश करने में हुए विलंब को माफ करने बावत् अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15.12.2016 को आदेश पारित कर प्रस्तुत अपील समयबाह्य मानकर निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में विलंब के संबंध में स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय को उदार रूख अपनाना चाहिए था, जबकि विलंब का

उल्लेखित कारण दर्शाया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिसमें यह माना गया है कि विलंब के संबंध में उदार रूख अपनाना चाहिए था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त न्याय सिद्धांत पर बिना विचार किये अपील निरस्त करने में कानूनी गंभीर भूल की है।

(2) आलोच्य आदेश बंटवारा प्रकरणों में जो आवेदकगण की जानकारी के बिना व बिना पक्षकार बनाये बिना इश्तहार जारी किये तथा बिना बंटवारा फर्द सूची प्रकाशन किये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

(3) आवेदक क्रमांक 1 की दादी मां लक्ष्मी अनपढ सीधी सादी महिला होकर पुत्रों ने विश्वास में लेकर एवं पटवारी फर्द व बंटवारा पर फर्जी महिला को खड़ा करके फर्जी न्यायालय पत्रिका में निशानी अंगूठा कराया गया है। फर्द का प्रकाशन नहीं कराया गया है, न ही आवेदकगण को पक्षकार बनाया गया है, न ही आपत्ति आमंत्रित की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिंदु पर विचार न कर विवादित आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है, जो निरस्ती योग्य है।

(4) उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एस के दुबे 1995 रा.नि. पेज नंबर 411 राजेन्द्र सिंह ठाकुर बनाम राजस्व मंडल म.प्र., ग्वालियर तथा अन्य प्रकीर्ण याचिका क्रमांक 1238/1994 निर्णीत दिनांक 09.10.1995 परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 विलंब माफी हेतु आवेदन विलंब माफी पर जब विचार किया जा रहा हो, उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ए.आई.आर. 1987 एस.सी.1353 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिधारित सिद्धांत का अनुशरण कया जाना चाहिए।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों कलेक्टर, के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा सहखातेदारों की आपसी सहमति से हुआ है तथा सहमति के हस्ताक्षर भी है। आवेदकपक्ष द्वारा वसीयतनामा के आधार पर अत्यधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण बताने में आवेदक असफल रहा है, इसलिये अनुविभागीयअधिकारी द्वारा अपील खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के न्यायसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-8-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर